भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 114

(24 नवंबर, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सांसद आदर्श ग्राम योजना का कार्यान्वयन

114. डा॰ सत्यनारायण जटियाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) "सांसद आदर्श ग्राम योजना" की अवधारणा, कार्यान्वयन की विधि तथा इसमें शासन-प्रशासन की सहायक भूमिका क्या है; और

(ख) क्या उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने कोई विशेष उपाय किये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क) ग्रामीण विकास के प्रति महात्मा गाँधी की अवधारणा आदर्श ग्रामों के सृजन पर केंद्रित रही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना(एसएजीवाई) का लक्ष्य वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आदर्श ग्राम बनाकर महात्मा गांधी के स्वराज को सुराज में बदलने के सपने को साकार करना है। एसएजीवाई का उद्देश्य मात्र अवसंरचना विकास करने के अलावा, गाँवों और उनमें रहने वाले लोगों में कुछ नैतिक मूल्यों जैसे कि लोगों की भागीदारी, अंत्योदय, महिला-पुरुष समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, श्रम की गरिमा, सामुदायिक सेवा की भावना, सफाई, पर्यावरण-अनुकूलता, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, शांति और सौहार्द्र, पारस्परिक सहयोग,

आत्म-विश्वास, स्थानीय स्व-शासन, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही इत्यादि को लाना है ताकि वे अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाएं।

योजना का मूल उद्देश्य आदर्श ग्राम पंचायतें बनाने के लिए सांसदों की नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता और ऊर्जा को जुटाना है। संसद सदस्यों की भूमिका है - आदर्श ग्राम का निर्धारण एवं चयन करना, गाँव में समुदाय के साथ जुड़ना, योजना के मूल्यों का प्रचार-प्रसार करना, अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रारंभिक कार्यकलापों को शुरु करना, आयोजना प्रक्रिया को सुगम बनाना, विशेष रुप से सीएसआर तथा मानव सेवियों से यथासंभव अतिरिक्त संसाधन जुटाना, एमपीएलएडी निधि का उपयोग करते हुए योजना की बड़ी कमियों को दूर करना, समय-समय पर प्रगति की निगरानी करना और मुद्दों एवं समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाना, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने में तथा जन-शिकायतों के समाधान में सक्रिय रुप से सहायता करना, वांछित, अमूर्त परिणामों विशेष रुप से सामाजिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए समुदाय के साथ समन्वय करना।

राष्ट्रीय स्तर पर, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए, दो राष्ट्र स्तरीय समितियाँ होंगी। एक समिति की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे जिसमें आयोजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री भागीदारी करेंगे। दूसरी समिति की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव करेंगे जिसमें इन मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि भाग लेंगे जो कि संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे के नहीं होंगे। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों वाली और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों सहित एक अधिकार प्राप्त समिति होनी चाहिए। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव संयोजक सदस्य होंगे।

एसएजीवाई के कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। जिला क्लेक्टर सहभागी लाइन विभागों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे। संबंधित संसद सदस्य समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इन मासिक बैठकों के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जिला-स्तर पर, कलेक्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए, पर्याप्त वरिष्ठता के सक्षम प्रभारी अधिकारी को नियुक्त करेगा जो स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन का समन्वय करेगा और वह कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेवार एवं जवाबदेह होगा।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी 672 जिला कलेक्टरों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग की गई और उन्हें योजना के विषय में बताया गया तथा आदर्श ग्राम पंचायतों के निर्धारण एवं

तत्पश्चात कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सांसदों तक सहायता पहुँचाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान(एनआईआरडी), हैदराबाद के सहयोग से व्यापक क्षमता निर्माण योजना(सीसीबीपी) बनायी गयी। राज्य नोडल अधिकारियों सहित विभिन्न राज्यों के 182 व्यक्तियों, जो कि क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षकों के राज्य दल(एसटीओटी) का हिस्सा हैं, को 13 नवंम्बर, 2014 को एनआईआरडी, हैदराबाद में प्रशिक्षण दिया गया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्तमान में सांसदों एवं कलेक्टरों के लिए कार्योन्मुखी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

अलग वेबसाइट saanjhi.gov.in एवं अलग ई-मेल आईडी pmusaanjhi@gov.in बनाया गया है।

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए एक निर्णय के आधार पर, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना और इसके दिशा-निर्देशों को स्वीकृति देते समय संबंधित मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों के सचिवों से अनुरोध किया कि वे अपनी संबंधित केंद्रीय क्षेत्र की एवं केंद्रीय प्रयोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में जहाँ भी उचित हो, उपयुक्त बदलाव करें ताकि एसएजीवाई के अंतर्गत चुनी गई ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जा सके।

मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों के प्रचार-प्रसार के लिए सक्रिय उपाय किए हैं। पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान दिशा-निर्देशों की लगभग 10,000 प्रतियां छापी गईं एवं इन्हें वितरित किया गया। आसानी से समझने के लिए, 10 क्षेत्रीय भाषाओं में इनका अनुवाद करने का प्रयास किया जा रहा है।

*****